

बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पत्रांक—ब0आ0-114/18/2026-SEC_5-EDU DEPT (573077)....90...

सेवा में,

महालेखाकर, (लेखा एवं हकदारी) बिहार,
वीरचन्द पटेल, पथ, पटना।

अगौप्यारिक रूप
से परामर्शित

द्वारा — आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक— 21/08/2026

विषय :- स्वीकृत्यादेश संख्या-09 दिनांक 22.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में कार्यरत विधि क्लर्क के मानदेय भुगतान हेतु स्वीकृत राशि 2,18,50,000/- (दो करोड़ अठारह लाख पचास हजार) रुपये मात्र में से अवशेष राशि 1,42,02,500/- (एक करोड़ बैयालीस लाख दो हजार पांच सौ) रुपये मात्र अंतर्गत द्वितीय चौमाही बंधेज (32%) के अधीन कुल 69,92,000/- (उनहत्तर लाख बानवे हजार) रुपये मात्र की विमुक्ति के संबंध में।

आदेश :- स्वीकृत।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक कहना है कि जिलों में विभाग से संबंधित मुकदमों की संख्या अतिन्यून हो इसके लिए विभाग ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में विधि क्लर्क की सेवा लेने का निर्णय लिया है। इसी निर्णय के तहत विभागीय ज्ञापांक 04/वि०-16-77/2017-2333 दिनांक 22.12.2023 द्वारा प्रत्येक जिला में विधि क्लर्क की सेवा लिए जाने हेतु अभ्यर्थियों की सूची, मानदेय, उनके कार्य एवं योगदान संबंधी दिशा निदेश के लिए स्पष्ट आदेश संसूचित है। इस आदेश के द्वारा विधि क्लर्क को प्रतिमाह 35,000/- (पैंतीस हजार रु०) मात्र प्रतिमाह दिया जाना है। इस प्रकार स्वीकृत्यादेश संख्या-09 दिनांक 22.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में कार्यरत विधि क्लर्क के मानदेय भुगतान हेतु स्वीकृत राशि 2,18,50,000/- (दो करोड़ अठारह लाख पचास हजार) रुपये मात्र में से अवशेष राशि 1,42,02,500/- (एक करोड़ बैयालीस लाख दो हजार पांच सौ) रुपये मात्र अंतर्गत द्वितीय चौमाही बंधेज (32%) के अधीन कुल 69,92,000/- (उनहत्तर लाख बानवे हजार) रुपये मात्र की विमुक्ति प्रदान की जाती है।

2. स्वीकृत्यादेश संख्या-09 दिनांक 22.04.2026 द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी, कार्यालय में कार्यरत विधि क्लर्क के मानदेय भुगतान हेतु कुल 2,18,50,000/- (दो करोड़ अठारह लाख पचास हजार) रुपये मात्र की स्वीकृति एवं 72,10,500/- (बहत्तर लाख दस हजार पांच सौ) रुपये मात्र की विमुक्ति की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रस्तावित विमुक्ति उक्त स्वीकृत्यादेश से स्वीकृत राशि के विरुद्ध वित्त विभागीय बंधेज अंतर्गत द्वितीय चौमाही बंधेज (32%) के अधीन 69,92,000/- (उनहत्तर लाख बानवे हजार) रुपये मात्र की विमुक्ति प्रदान किये जाने से संबंधित है।

3. उक्त विमुक्त राशि का विकलन माँग संख्या 21, मुख्य शीर्ष 2202-सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष 02- माध्यमिक शिक्षा, लघु शीर्ष 109- राजकीय माध्यमिक विद्यालय, उपशीर्ष 0005 - माध्यमिक/उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों का अनुश्रवण,

विपत्र कोड 21-2202-02-109-0005 के विषय शीर्ष 0005.28.02- संविदा सेवायें मद के अन्तर्गत उपबंधित राशि से होगा।

4. राशि की निकासी संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) CFMS के माध्यम से करेंगे।

5. विधि क्लर्क के मानदेय के भुगतान विभागीय आदेश संख्या-04/वि०-16-77/2017-2333 दिनांक-22.12.2023 में निहित प्रावधानों के आलोक में करेंगे।

6. इस स्वीकृत्यादेश से वित्त विभाग के पत्रांक-7355 दिनांक-05.10.2007 एवं महालेखाकार बिहार के पत्रांक-877-907 दिनांक-08.11.2007 के आलोक में आवंटनादेश निर्गत होने के पश्चात राशि की निकासी की जाएगी अतएव महालेखाकार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

7. उक्त राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित जिलों के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को जमा करेंगे।

8. इस राशि का विचलन अन्य मदों में न किया जाय।

9. राशि का आवंटन जिलों से प्राप्त मांग पत्र/निदेशालयों द्वारा समर्पित पत्रों/निदेश के आधार पर संबंधित जिलों को दिया जायेगा। आवंटित राशि जिलो द्वारा खर्च नहीं किये जाने की स्थिति में सामंजस कर अन्य जिलों को मांग के आधार पर आवंटित कर दी जायेगी।

10. राशि का व्यय वित्त विभागीय स्थायी आदेश सं०-2561, दिनांक-17.04.1998, वित्त विभाग के संकल्प सं०-12888, दिनांक-03.12.2024 वित्त विभाग राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत संकल्प/परिपत्रों अन्य पत्रों में निहित निदेशों के आलोक में की जाएगी।

11. संचिका संख्या ब०आ०-114/18/2026-SEC_5-EDU DEPT (573077) के नोट-31/टि० पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

12. प्रस्ताव एवं प्रारूप पर सचिव का संचिका संख्या-ब०आ०-114/18/2026-SEC_5-EDU DEPT (573077) के नोट-40/टि० पर अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

सरकार के उप सचिव

ज्ञापक- ब०आ०-114/18/2026-SEC_5-EDU DEPT (573077)...९०... पटना, दिनांक-21/08/2026

प्रतिलिपि :-सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/निदेशक, माध्यमिक शिक्षा/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना)/वित्त विभाग (योजना एवं बजट)/संबंधित प्रभारी पदाधिकारी, माध्यमिक शिक्षा/आई०टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव

वित्तीय वर्ष 2026-27

जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं अनुमंडल शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में कार्यरत विधि क्लर्क का जिलावार आवंटित राशि की विवरणी
(21-2202-02-109-0005) 28.02

क्र०सं०	जिला का नाम	आवंटित राशि
1	2	3
1	सुपौल	₹ 0
2	मधुबनी	₹ 0
3	सहरसा	₹ 0
4	रोहतास	₹ 1,40,000
5	औरंगाबाद	₹ 0
6	नालन्दा	₹ 0
7	प० चम्पारण (बेतिया)	₹ 0
8	जहानाबाद	₹ 1,40,000
9	सीतामढ़ी	₹ 0
10	मुजफ्फरपुर	₹ 0
11	गोपालगंज	₹ 0
12	सीवान	₹ 0
13	गया	₹ 0
14	नवादा	₹ 0
15	सारण	₹ 0
16	अरवल	₹ 0
17	कटिहार	₹ 0
18	पूर्णिया	₹ 70,000
19	किशनगंज	₹ 0
20	खगड़िया	₹ 0
21	कैमूर	₹ 0
22	भोजपुर	₹ 0
23	पूर्वी चम्पारण (मातिहारी)	₹ 0
24	पटना	₹ 0
25	वैशाली	₹ 1,40,000
26	बांका	₹ 0
27	भागलपुर	₹ 0
28	अररिया	₹ 1,03,870
29	बेगुसराय	₹ 0
30	लखीसराय	₹ 0
31	शेखपुरा	₹ 0
32	जमुई	₹ 0
33	बक्सर	₹ 2,75,334
34	शिवहर	₹ 1,40,000
35	समस्तीपुर	₹ 70,000
36	दरभंगा	₹ 1,40,000
37	मुंगेर	₹ 0
38	मधेपुरा	₹ 0
कुल योग:-		₹ 12,19,204

[Signature]

सरकार के उप सचिव

[Signature]